

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2065
12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा समूहों की स्थापना

2065. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए हथकरघा समूह स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार विशेष रूप से तेलंगाना के महबूबनगर जिले सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत की गई है; और
- (ग) इस संबंध में स्वीकार/अस्वीकार किये गए प्रस्तावों का ब्यौरा और आधार क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के समग्र और एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के एक घटक के रूप में ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर को कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस), उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (साएफसी) की स्थापना, आदि जैसी विभिन्न मध्यस्थताओं के कार्यान्वयन हेतु प्रति स्वीकृत क्लस्टर 2.00 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2015-16 से, देश में 440 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर इस योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के संबंध में, वर्ष 2016-17 के दौरान 235 लाभार्थियों को शामिल करते हुए भारत सरकार के 102.50 लाख रूपये के हिस्से सहित कुल 104.60 लाख रूपए की लागत से एक क्लस्टर को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक (जनवरी 2021 तक) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत क्लस्टरों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 12.02.2021 को लोक सभा के लिए नियत अतारंकित प्रश्न सं. 2065 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में

2015-16 से 2020-21 तक (जनवरी 2021 तक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) / व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत स्वीकृत ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों, जारी की गई निधि और शामिल लाभार्थियों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत बीएलसी की संख्या	जारी की गई राशि (रु. करोड़ में)	शामिल लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	54	43.54	33479
2	अरुणाचल प्रदेश	11	3.65	5283
3	असम	59	44.21	52772
4	बिहार	13	5.06	5472
5	छत्तीसगढ़	9	4.86	3615
6	गुजरात	5	1.23	560
7	हिमाचल प्रदेश	10	3.25	2576
8	जम्मू और कश्मीर	13	5.23	2953
9	झारखंड	30	9.66	24143
10	कर्नाटक	7	4.13	2916
11	केरल	6	5.55	2472
12	लद्दाख	1	0.07	260
13	मध्य प्रदेश	6	2.97	9603
14	महाराष्ट्र	6	2.26	4336
15	मणिपुर	10	9.23	19195
16	मेघालय	3	1.81	1102
17	मिजोरम	10	5.83	3653
18	नागालैंड	13	5.94	11230
19	ओडिशा	30	16.18	11016
20	राजस्थान	1	0.37	554
21	सिक्किम	1	0.44	72
22	तमिलनाडु	52	38.45	58268
23	तेलंगाना	9	3.06	2811
24	त्रिपुरा	4	2.02	2350
25	उत्तर प्रदेश	48	21.18	15451
26	उत्तराखंड	3	0.75	1116
27	पश्चिम बंगाल	26	11.95	27298
	कुल	440	252.88	304556